राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला हि0प्र0 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण

अवधि 8/2005 से 3/2013

1 प्रारम्भिकः–उद्वेश्य

(i) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 END (TE) C (6)- 1/2003 दिनाँक 14–6–2005 के अन्तर्गत राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय रोहडू की स्थापना की गई तथा शिक्षा सत्रह 2005–06 से कक्षाऐं प्रारम्भ की गई।

(ii) अंकेक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य व आहरण एंव वितरण अधिकारी के दर पर कार्यरत रहे।

क0स0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री ए0 के अहुजा	26–7–2005 से 1–3–2007
2	श्री एस0एन0 सिह	08–3–2007 से 9–7–2007
3	श्री एस0के0 गौतम	10–7–2007 से 15–2–2008
4	ई0 एस0सी0 वर्मा	19–3–2008 से 11–3–2010
5	श्री एस0एन0 सिह	12–3–2010 से 15–4–2010
6	डा0 जोगिन्द्र सिह	16–4–2010 से 16–5–2011
7	आर0 ओ0एस0 सैन	01–7–2011 से 11–3–2012
8	डा0 रनजीत सिह	12–3–2012 से लगातार

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि
1	8	विलम्ब शुल्क की वसूली न करना	9700
2	13	विभिन्न जाँच समितियों पर छात्र कल्याण निधि से किया गया अनियमित व्यय	11533
3	14	हि0प्र0 बोर्ड के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	13,50,000
4	15	हि0प्र0 विघुत बोर्ड प्रतिभूति का वापिस न लिया जाना	29032

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

महाविद्यालय के अवधि 8/2005 से 3/2013 के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अशोक कुमार सूद (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 15–10–2013 से 18–11–2013 के दौरान रोहड़ू में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/2005, 8/2006, 8/2007, 8/2008, 8/2009, 8/2010, 8/2011 व 8/2013 तथा व्यय की जाँच हेतु माह 3/2006, 5/2006, 11/2007, 1/2009, 10/2009, 12/2010, 4/2011 व 10/2012 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जों उपलब्ध नही करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करना है।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

महाविद्यालय के अवधि 8/2005 से 3/2013 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹**56000/– आँका गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क0सं0	वर्ष	कुल वसूलियाँ	अंकेक्षण शुल्क
1	2005–06	4,07,297	7000
2	2006–07	17,49,786	7000
3	2007–08	17,58,724	7000
4	2008–09	31,69,530	7000
5	2009–10	30,06,676	7000
6	2010–11	34,01,421	7000
7	2011–12	47,89,229	7000
12	2012–13	45,68,111	7000
		कुल अंकेक्षण शुल्क	**₹56,000**

अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला (9) के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु महाविद्यालय प्रधानाचार्य से अनुभाग अधिकारी अंकेक्षण अधियाचना सं0 179 दिनाँक 16–11–2013 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः–** अंकेक्षण अवधि में छात्र निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

5 **विभिन्न छात्र निधियों का छात्रों के कल्यानार्थ उनको सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयोग न किया जानाः—**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान प्रशासन द्वारा गत आठ वर्षो में छात्रों से वसूल की गई छात्र निधि की राशियों में से अधिकाश राशियों का खर्च न किये जाने के परिणामस्वरूप दिनाँक 31—3—2013 को विभिन्न छात्र निधियों में लाखों रूपये जमा पडे थे। उदाहरण के रूप में दिनाँक 31—3—2013 को सस्थान प्रशासन के पास भवन निधि में ₹12,53,427/— स्वास्थ्य निधि में ₹7,00,621/— लघु शिक्षा भ्रमण निधि में ₹5,48,670/— विलम्ब/अनुपस्थिति शुल्क निधि में ₹4,23,636/— गृह परीक्षा शुल्क निधि में ₹6,61,589/— वार्षिक पुरूस्कार समारोह निधि में ₹4,52,223/— तथा छात्र कल्याण निधि के ₹5,99ख्962/— शेष जमा पडे थी। इस प्रकार विभिन्न छात्र निधियों को वसूली उपरान्त छात्रों के कल्यानार्थ/उन्हे सुविधायें प्रदान करने पर प्रयोग न करने से निधि वसूली का मूल उद्धेश्य समाप्त हो जाता है। इस सन्दर्भ में संस्थान प्रशासन के साथ चर्चा की गई तथा पाया गया कि छात्र निधियों का प्रयोग न किए जाने का मुख्य कारण छात्र निधियों के प्रयोग से सम्बन्धित नियमों का न बनना था। अतः यह मामला निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस संदर्भ में अविलम्ब प्रत्येक निधि अनुसार नियम बनाऐं जायें तथा प्रत्येक निधि के उद्वेश्यों को प्राप्त करते हुए निधि की राशियों का छात्रों के कल्यानार्थ उन्हे सुविधायें पहुचाने हेतु प्रयोग किया जाए।

6 **छात्र कल्याण निधि में अन्य राशियों का भी इन्द्राज करने करेः—**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि मे कुछ ऐंसी प्राप्तियों व अदायगियों का भी ईन्द्राज दिया गया जाना है जिनका छात्र कल्याण निधि से काई सम्बंध नही है। उदाहरण के रूप में विभिन्न बैंकों से छात्रों को प्रदान किऐ गये शिक्षा श्रृण, विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त छात्र वृति राशियां विश्वविद्यालय से वार्षिक परिक्षाओं के संचालन हेतु प्राप्त राशियां तथा परिश्रमिक राशियां इत्यादि का ईन्द्राज भी छात्र कल्याण निधियों में किया गया है। इस प्रकार की राशियाँ जो छात्र कल्याण निधि से सम्बन्धित नही है का छात्र कल्याण निधि में ईन्द्राज करने से निधि की वार्षिक आय व व्यय के आंकडे वास्तविक स्थिति को परिलक्षित नही करते है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में छात्र कल्याण निधि में केवल छात्र निधि से सम्बन्धित वसूलियों व अदायगियों का ही ईन्द्राज किया जाए ताकि खाते की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

7 **माँग व वसूली रजिस्टर को तैयार न किया जानाः—**

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को अपना कोर्स 4 वर्षो में 8 समैस्टर में पूर्ण करना होता हैं। इन 8 समैस्टर में वसूल किऐ जाने वाले शुल्कों का पूर्ण विवरण सम्बन्धित

प्रौस्पैक्ट्स में दिया जाता है तथा तदानुसार उनसे शुल्क व फीस वसूली की जाती है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली में सम्बन्धित रजिस्टर तैयार नही किया गया है जिससे यह पता चल सके कि प्रत्येक छात्र द्वारा प्रत्येक समैस्टर के पूर्ण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है अथवा नही? इस प्रकार माँग तथा वसूली रजिस्टर तैयार न किए जाने के कारण अकेक्षण के दौरान यह पता नही चल सका कि नीचे वर्णित जिन छात्रों से पूर्ण शुल्क वसूली न कर कम राशि वसूल की गई थी उनसे शेष राशियां कब वसूली गई है।

क0सं0	छात्र का नाम	रोल न0	सरीद सं0	दिनाँक	वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली कुल राशि
1	विवके कुमार	015 BP/05	12415	16—8—2005	6500 ⁄ —	18850 ⁄ —
2	राकेश ठाकुर	035 BP/05	12435	16—8—2005	10.000 ⁄ —	18850 ⁄ —
3	प्रींस शर्मा	40 BP/06	000053	28—8—2006	1500 ⁄ —	19950 ⁄ —

उपरोक्त के दृष्टिगत महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली रजिस्टर को न तैयार किऐ जाने का कारण स्पष्ट किए जाऐ तथा उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण शुल्क की राशियों का भुगतान कर दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में माँग व वसूली रजिस्टर तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

8 विलम्ब शुल्क की ₹9700 की वसूली न करनाः—

प्रधानाचार्य, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, रोहडू के कार्यालय आदेश सं0 26 दिनाँक 26—7—2006 के अनुसार शिक्षा सत्रह 2006—07 में प्रवेश लेने वाले छात्रों से शुल्क व फीस की दिनाँक 28—7—2006 तक बिना विलम्ब शुल्क के वसूली की जानी थी। तदोपरान्त अगले 2 कार्य दिवस तक ₹100 विलम्ब शुल्क के साथ तथा उसमें अगले कार्य दिवसों तक ₹400 विलम्ब शुल्क के साथ तथा तत्पश्चात ₹600 विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क व फीस की वसूली की जानी अपेक्षित थी। जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित रसीदों से, छात्रों से वसूल किऐ गये शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क की वसूली नही की गई। परिणामस्वरूप छात्रों के विलम्ब शुल्क की कुल ₹9700 की वसूली नही की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाए व की गई तथा उचित स्त्रोत से उक्त वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

दिनाँक	रसीद सं0	कुल रसीद	विलम्ब शुल्क दर (₹)	कुल कम वसूला गया विलम्ब शुल्क (₹)
31–7–2006	12481 से 12485	5 न0	100	500
1–8–2006	12486 से 12500 तथा 1 से 8	23 न0	400	9200
		कुल विलम्ब शुल्क जिसकी वसूली नही की गई		₹9700

9 **निदेशक तकनीकी शिक्षा से प्राप्त स्वीकृति/आदेशानुसार राशियों का सम्बन्धित निधियों से भुगतान न करके अन्य निधियों से भुगतान करनाः–**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न उद्वेश्यों हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार सम्बन्धित छात्र निधि से व्यय/भुगतान न करके अन्य छात्र निधियां से भुगतान किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा किये गये इन भुगतानों के संदर्भ में निदेशक तकनीकी शिक्षा से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके इन्हे नियमित करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ तथा भविष्य में आंदेशों की पूर्ण रूप से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

क0स0	तिथि	निदेशक तकनीकी शिक्षा आदेश सं0	उद्वेश्य	राशि	जिस निधि से भुगतान की स्वीकुति प्रदान की गई	जिस लिधि से राशि भुगतान की गई
1	2	3	4	5	6	7
1	8–3–2006	एस0टी0वी0(टी0ई0) एच–एफ (4)–4/2005–4122 दिनाँक 27–2–2006	हि0प्र0 विश्वविद्यालय के पास वर्ष 2005–06 का संम्बन्धता शुल्क जमा कराने हेतु	100.000	छात्र कल्याण निधि	₹60000 संस्थान प्रतिभूति ₹15000 लघु शिक्षा भ्रमण निधि ₹25000 छात्र कल्याण निधि।
2	19–5–2006	एस0टी0वी0(टी0ई0) एच–एफ(4)–4/2005–12661 दिनाँक 18–5–2006	हि0प्र0 विश्वविद्यालय के पास वर्ष	100,000	छात्र कल्याण निधि	₹60,000 पुस्तकालय प्रतिभूति ₹30,000

			2006–07 का संम्बन्धता शुल्क जमा करवाने हेतु			होस्टल प्रतिभूति ₹10.000 वार्षिक पुरूस्कार समारोह निधि
3	19–5–2006	समसंख्या–12660 दिनाँक 18–5–2006	हि0प्र0 विश्वविद्यालय के पास सस्थान निरीक्षण शुल्क जमा कराने हेतु	50,000	-यर्थोपरी-	भवन निधि ₹50000
4	20–7–2006	एस0टी0वी0(टी0ई0) एच–एफ(4)–4/2006–15216 दिनाँक 17–6–2006	A.I.C.T.E के पास प्रौसैसिग फीस जमा करवाने हेतु	40.000	-यर्थोपरी-	कम्पयूटर फीस ₹40000

10 **नियमों के प्रावधान के बिना तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही छात्र कल्याण निधियो में भुगतान करनाः–**

अभिलेख की जाँच मे पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नियमों में बिना किसी प्रावधान के तथा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए प्रत्येक वर्ष हजारों रूपये की निकासी छात्र कल्याण निधि से हि0प्र0 विश्वविद्यालय तथा हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय के पास विभिन्न शुल्कों को जमा करवाने हेतु की जाती है। तदोपरान्त कुछ समय बाद भुगतान की गई राशि की राजकीय कोष से प्रतिपूर्ति करके राशि को वापिस जमा करवा दिया जाता है। उदाहरणतः दिनाँक 19–4–2011 कों छात्र कल्याण निधि से ₹3,55,000 की निकासी हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शुल्क जमा करवाने हेतु की गई।

1	प्रौसैसिगं फीस	₹5000
2	संम्बधतता शुल्क	₹250.000
3	काऊँसलिगं फीस	₹100.000
	योग	**₹3,55,000**

उपरोक्त भुगतान की गई राशि में से ₹5000 की प्रतिपूर्ति 10 माह बाद दिनाँक 17–2–2012 को तथा ₹1,00,000 की प्रतिपूर्ति 11 माह बाद दिनाँक 29–3–2012 को राजकीय कोष से करके राशि वापिस जमा करवा दी गई तथा शेष ₹250,000 की प्रतिभूति की जानी वकाया है जिसकी प्रतिपुर्ति भी शीघ्र करके व राशि वापिस जमा करवा कर अनुपालना आगामी

अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में उपरोक्त प्रक्रिया को बन्द करने हेतु कार्रवाई अमल में लाए जाए।

11 **बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए तथा रसीद/पावती प्राप्त किए विना ही श्री विनय कुमार को ₹10254 का भुगतान करनाः–**

दिनाँक 31–3–2010 को छात्र कल्याण निधि से ₹10254 का भुगतान श्री विनय कुमार को चैक सं0 06409254 द्वारा Compliance report along with fee to A I C T E (All India (counsel of Technical Education) के पास जमा करवाने हेतु किया गया। इस भुगतान हेतु, निदेशक, तकनीकी शिक्षा से भी कोई स्वीकृति प्राप्त नही की गई। इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख में न तो कोई माँग पत्र और न ही इस राशि की रसीद/पावती संलग्न थी जिसकी अनुपलब्धता में भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच नही की जा सकी। अतः निदेशक, तकनीकी शिक्षा से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके तथा किऐ गये भुगतान की पावती प्राप्त करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाऐ।

12 **पत्रिका शुल्क निधि से विभिन्न पत्रिकाओं की खरीद करने पर ₹25000 का भुगतान करना तथा खरीदी गई पत्रिकाओं से कम मात्रा में पत्रिका प्राप्त करनाः–**

(क) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पत्र सं0एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच–एफ (4)–0/07–22068 दिनाँक 20–8–2007 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि प्रधानाचार्य, छात्र कल्याण निधि से समाचार पत्र व विभिन्न पत्रिकाओं की खरीद करने हेतु पूर्ण संक्षम अधिकारी है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त दी गई स्वीकृति के अनुसार छात्र कल्याण निधि से खरीद न करके समय समय पर पत्रिका शुल्क निधि से पत्रिकाओं की खरीद की गई है जो निधि पर उचित प्रभार नही है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके किये गये व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से इसकी प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

क्र0 सं0	दिनाँक	आपूर्ती कर्ता का नाम	राशि
1	12–3–2008	Indian pharmac Guidance Academy Modhav nagar, Nagpur.	
		Bill No 301	14,200
		Bill No 10	12,200
2	21–5–2012	Modhav Publicatoins	25.000

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्रिकाओं की स्टॉक प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्न विवरणानुसार कुछ प्रत्रिकाएँ प्राप्त ही नही की गई थी अथवा कम प्राप्त की गई थी । अतः संस्था स्तर आन्तरिक जाँच करके तथा इस प्रकरण में उचित कार्रवाई अमल में लाते हुऐ सम्बन्धित फर्म (जिन के द्वारा पत्रिकाओं की पूर्ति नही की गई है) से राशि वापिस वसूल करके सम्बन्धित निधि में जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क0 सं0	दिनाँक	आपूर्तिकर्ता का विवरण	बिल सं0	राशि ₹	पत्रिका का नाम व राशि	कम प्राप्त हुई पत्रिकाओं की मात्रा
1	12–3–2008	इंडियन फार्मा गाइडेन्स अंकेडमी माधव नगर नागपुर।	301	₹14200	(1) Pharmaceutical technology @ Rs 5270 (2) Amrican journal For Pharma education	11न0 12न0
2	12–3–2008	–यथोपरि–	10	₹12200	(1) daily Today @Rs 200 (2)Advance darug Review @Rs 400 (3) Indian Journal of Chemistry A @Rs.1425 (4) Indian Journal of Pharmaceutical Research.@Rs.2250	2न0 4न0 10न0 11न0
3	21–5–2012	माधव पुब्लिकेष्ण	शून्य	शून्य	Drug Journal की आपूर्ति करने हेतु प्रदान	न तो इस राशि का समायोजन किया

					की गई अग्रधन राशि 25000 रूपये।	गया और न ही कोई पत्रिका प्राप्त हुई

13 **विभिन्न जाँच समितियों पर छात्र कल्याण निधि से किया गया ₹11533 का अनियमित व्ययः–**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा संस्थान की (inspection) पर समय–समय पर आए विभिन्न समितियों पर छात्र कल्याण निधि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है। इस प्रकार का व्यय निधि पर उचित प्रभार नही है। अतः किये गए व्यय को नियमानुसार उचित ठहराने के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क0स0	दिनाँक	जाँच समिति का विवरण	कर्मचारी जिसके द्वारा राशि व्यय की गई	किए गये व्यय का विवरण	₹
1	4–8–2006	दिनाँक 17–5–2006 को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इडिया की टीम द्वारा की गई यात्रा	श्री शशि शर्मा	कार हट –ठयोग वाटिका–केथलीघाट सेंठी क्न्फेक्श्नर–कंडाघाट सेंठी क्न्फेक्श्नर–कंडाघाट	131 340 290 121
2	5–8–2006	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी संबन्धता समिति द्वारा की गई यात्रा	श्री स एन सिंह	लोक निमार्ण विभाग विश्रामालय में किया गया भुगतान	1175
3	4–11–2006	निदेशक, तकनीकी शिक्षा के प्रवास पर किया गया व्यय	श्री महेश चौहीन	अग्रधन राशि का वयय तथा दिनाँक 18–1–2007 को अग्रधन के समायोजन उपरान्त दी गई बकाया राशि	1500 387 1887
4	15–11–2007	दिनाँक 15 व 16–11–2007 को	श्री राजिन्द्र गुलेरिया	लिये गए अग्रधन को ₹3000 में से किया गया व्यय	₹690

		फार्मेसी कोन्सिल ऑफ इडिया द्वारा की गई यात्रा		जिसका समायोजन दिनाँक 13–2–2008 को किया गया	₹992 ₹1682
5	17–12–2007	यथोपरि	श्री स0एन0 सिह	दिनाँक 13–11–2007 तथा 15–11–2007 को किया गया व्यय	₹419+ ₹88
6	25–7–2008	निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा की गई यात्रा	श्री महेश चंद्र	दिनाँक 19–7–2008 को पंचरतन रेस्टुरेट में किया गया व्यय	570
7	18–2–2012	फार्मेसी कोन्सिल ऑफ इडिया द्वारा की गई यात्रा	श्री वियन ठाकुर	लिये गये अग्रधन की ₹5000 में से किया गया व्यय	4450
				योग	₹11533

14 **हि0प्र0 विघुत बोर्ड में ₹13,50,000 से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–**

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय के नए भवन में ट्रॉसफार्मर लगाने हेतु महाविद्यालय द्वारा हि0प्र0 विघुत बोर्ड को दिनाँक 31–7–12 को भवन निधि में ₹1350000 का भुगतान किया गया। इस राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नही करवाए जिसे हि0प्र0 विघुत निगम से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाऐ।

15 **हि0प्र0 विघुत बोर्ड से प्रतिभूति की ₹29032 का वापिस न लिया जानाः–**

महाविद्यालय द्वारा छात्राओं के छात्रावास, (जो एक निजी भवन में चलाया जा रहा था) में विघुत व्यवस्था करने हेतु दिनाँक 3–12–2010 को ₹18000 हि0प्र0 विघुत बोर्ड के पास प्रतिभूति के रूप में जमा करवाई गई। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इससे पूर्व भी प्रतिभूति के रूप में ₹11032 जमा करवाई गई थी। इस राशि को महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा इस शर्त पर भूगतान करने की अनुमति प्रदान की गई कि जब छात्रावास, महाविद्यालय के अपने भवन में स्थानान्तरित हो जायेगा तब यह राशि वापिस ले ली जायेगी। अंकेक्षण के दौरान संस्थान प्रशासन द्वारा अवगत करवाया गया कि अब छात्रावास महाविद्यालय के अपने भवन में स्थानान्तरित हो चुका है। अतः प्रतिभूति के रूप में जमा करवाई गई कुल ₹29032/– (₹18000+ ₹11032) को हि0प्र0 विघुत से वापिस लेकर व निधि कोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

16 अन्य विविध अनियमितताऐः–

(i) जाँच में पाया गया कि दिनाँक 2.4.11 को छात्र कल्याण निधि से अग्रिम ₹8000 का भुगतान श्री भगत राम चालक (वाहन सं0 एच0पी0 10 / डी 110) को किया गया परन्तु दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी प्रदान की गई राशि का समायोजन नही किया गया है। इसके अतिरिक्त यह व्यय छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नही है। अतः किए गये भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाऐ तथा सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके तथा उन्हे राशि का समायोजन करके की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) दिनाँक 20–7–2006 को ₹10,000, अग्रधन के रूप में श्री यशवन्त नेगी, अधिक्षक को, संस्थान के फाऊँडेशन स्टौन के समारोह पर व्यय वहन करने हेतु प्रदान की गई। इस भुगतान की अनुमति महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा कम्पयूटर शुल्क निधि से करने हेतु प्रदान की गई जबकि नियमों में निधि से इस प्रकार का भुगतान करने का कोई प्रावधान नही हैं। अतः जिन नियमों के अंतर्गत इस राशि का भुगतान किया गया उन्हे दर्शा कर किऐ गये भुगतान को उचित ठहराया जाऐ अन्यथा उचित स्त्रोत से इसकी प्रतिपूर्ति करके अथवा सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके भी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

(iii) दिनाँक 8–11–2012 को गृह परीक्षा शुल्क निधि से ₹20,000 की निकासी करके हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय के पास महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने हेतु जमा करवाई गई परन्तु इस संदर्भ में निदेशक तकनीकी शिक्षा से स्वीकृति प्राप्त नही की गई जिसे प्राप्त कर व की गई कार्रवाई आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

(iv) दिनाँक 3–10–2012 को ₹2,55,000 हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय के पास 55 छात्रों के विश्वविद्यालय शुल्क के रूप में जमा करवाई गई दर्शाई गई परन्तु इसकी पावती अभिलेख साथ संलग्न नही है जिसे प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाऐ।

(v) दिनाँक 20–3–2006 को परीक्षा निधि से ₹1000 की निकासी, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रयोग मे लाने हेतु डाक टिकटे खरीदने हेतु की गई। उपरोक्त में से दिनाँक 20–9–2006 को ₹408 तथा दिनाँक 22–11–2007 को ₹518 की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय से कर ली गई तथा शेष ₹74 की प्रतिपूर्ति भी करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

(vi) दिनाँक 26–8–2008 को चैक सं0 026797 दिनाँक 23–7–2008 द्वारा प्राप्त की गई ₹66575 व दिनाँक 27–8–2008 को प्राप्त की गई ₹20,300 छात्र कल्याण निधि में जमा

करवाई गई परन्तु इन प्राप्तियों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गए जिसे आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) दिनाँक 15–6–2006 को श्री रमेश जाकटा को महाविद्यालय में सफाई करवाने हेतु अग्रधन के रूप में ₹100 प्रदान की गई। जाँच में पाया गया कि अभी तक इस अग्रधन का समायोजन नही करवाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा समायोजन वाऊचरों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अथवा उक्त राशि की वसूली करके इसे महाविद्यालय की निधि में जमा करवाया जाए।

17. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नही की गई।

18 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)/14 खण्ड–1, दिनांक, 13.05.2014 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य फार्मेसी महाविद्यालय रोहडू, तहसील रोहडू जिला शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन मे उठाई गई आपतियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
2 निदेशक (तकनीकी शिक्षा) सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0।
3 अवर सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला–2
4 श्री अशोक सूद (अनुभाग अधिकारी) अब सहायक निदेशक द्वारा.......

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.